



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गौवध निवारण अधिनियम में 02 अभियुक्त को 24 दिवस का कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 692/2005 धारा- 3/8/10 गोवध निवा० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.मो० कदीर पुत्र मुरनऊवर 2.ख्वाजा पुत्र मुश्ताक निवासीगण खालेपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 24 दिवस का कारावास व ₹1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एसपीओ रणविजय



विवेचक-  
एचसीपी अशोक  
कुमार सिंह



पैरोकार-  
थाना कोतवाली नगर  
का० मनोज सिकरवार